अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2006

का.आ. 508(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 17 मार्च, 1994 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 288 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार सेवा- रूरल (सोसायटी फॉर एजुकेशन, वेलफेयर एन एक्शन-रूरल) पो0आ0 झगड़िया, जिला-भरूच-393110, द्वारा ग्रामीण निर्धनों और आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से एकीकृत ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन हेतु 15 से 35 वर्ष के बीच के ग्रामीण निर्धनों और आदिवासियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिलाओं के विकास के लिए आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियां, गरीबी उन्मूलन हेतु ग्रामोद्योग का संवर्धन (कुटीर उद्योग) और कम लागत वाले आवासों के निर्माण हेतु ग्रामीण निर्धनों को सहायता की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1994-1995 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 6 पर विनिर्दिष्ट किया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 6 जून, 1996 की अधिसूचना सं0 403 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, और फिर जिसे बाद में दिनांक10 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना सं0 748 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 10 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना सं0 986 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था,

और जबकि दिनांक 10 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना सं0 986 (अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 418.50 लाख रूपये से 518.50 लाख रूपये से संशोधित कर दिया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 12 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा- रूरल (सोसायटी फॉर एजुकेशन, वेलफेयर एन एक्शन-रूरल) पो0आ0 झगड़िया, जिला-भरूच-393110 द्वारा ग्रामीण निर्धनों और आदिवासियों के

लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना, गरीबी उन्मूलन हेतु 15 से 35 वर्ष के बीच के ग्रामीण निर्धनों और आदिवासियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिलाओं के विकास के लिए आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियां, गरीबी उन्मूलन हेतु ग्रामोद्योग का संवर्धन (कुटीर उद्योग) और कम लागत वाले आवासों के निर्माण हेतु ग्रामीण निर्धनों की सहायता की चलाई जा रही परियोजना या स्कीम को अनुमानित लागत अर्थात 518.50 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए 100.00 लाख रूपए की कार्पस निधि सहित वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 108/2006/फा. सं. एन. सी.-270/55/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)